सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 159 दर्ज तिथिः—05.05.2025

आम जनता तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर जरियेः—

1. सुखराम पुत्र भीयाराम
2. रामलाल पुत्र देरामाराम
3. भागीरथराम पुत्र भीयाराम
4. रतनाराम पुत्र हीराराम जाति राव
   निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. चौखाराम पुत्र करनाराम
6. पेमाराम पुत्र भीयाराम
7. हेमाराम पुत्र करनाराम
8. रूपाराम पुत्र कौशलाराम
9. आसूराम पुत्र हीराराम
10. छगनसिंह पुत्र रूपसिंह
11. अखेसिंह पुत्र भूपसिंह
12. चुतराराम पुत्र हेमाराम
13. सोनाराम पुत्र भीयाराम
14. दीपाराम पुत्र हरजीराम
    निवासी उदासर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. लालाराम पुत्र काछबाराम
    निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) गुड़ामालानी
3. प्रभारी अधिकारी, बाजरा अनुसंधान केन्द्र गुड़ामालानी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री बाबूलाल विश्नोई
अप्रार्थीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया है किः—
   - कि प्रार्थीगण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के निवासी हैं तथा तहसील गुड़ामालानी के गांवों के निवासियों के हितों व जनभावना की रक्षा के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।
   - कि मौजा गुड़ामालानी में अप्रार्थीगण के कब्जाशुदा खसरा संख्या 1869/10/0.1619 है0 किस्म गै0मु0, 1859/1683/1.0117 है0 किस्म गै0मु0, 1859/29/1.3076 है0 किस्म गै0मु0, 1984/1687/8.4036 है0, 1986/1983/7.5964 है0 किस्म गै0मु0 कॉलेज, 2026/1988/40.00001 है0 किस्म गै0मु0, 1687/6/19.9995 है0 किस्म गै0मु0 के आये हुए हैं।
   - कि अप्रार्थीगण की उक्त आराजी में से आमजन के हितार्थ पक्की डामर सड़क मौके पर बनकर चालू है। उक्त सड़क जुगताणियों की ढाणी, जीवाणियों की ढाणी, उदासर आदि सभी गांवों के स्थानीय लोगों के लिये तहसील मुख्यालय गुड़ामालानी तक आने—जाने हेतु सड़क मौके पर चल रही है। जो गुड़ामालानी से धोरीमन्ना जाने वाली मुख्य सड़ से निकलकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि से होती हुई राजकीय महाविद्यालय गुड़ामालानी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, गुड़ामालानी, बाजरा अनुसंधान केन्द्र, गुड़ामालानी से होते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र एवं आगे उक्त वर्णित गांवों की आम जनता के लिये आने—जाने हेतु पक्की डामर सड़क बनी हुई है।
   - कि उक्त सड़क वर्ष 2006—2007 में राज्य सरकार द्वारा बजट प्रदान कर बनाई गई हैं। जिस पर विभिन्न राजकीय कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी अवस्थित हैं। साथ ही उक्त सड़क के सैंकड़ों लोग गुड़ामालानी मुख्यालय पर आवागमन करते हैं। इस प्रकार उक्त सड़क का उपयोग आम जनता के द्वारा उपयोग में ली जा रही है।
   - कि उक्त मौके पर चालू डामर सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम अंकित नहीं की हुई होने से अप्रार्थीगण के कार्यालय के कार्मिकों व अधिकारीगण द्वारा उक्त आम सड़क पर चलने वाले आमजन को परेशान किया जाकर कभी—कभार आम सड़क को रोक देते हैं। जिससे मुख्यालय तक पहुंच हेतु उक्त सार्वजनिक सड़क बंद होने से आमजन का सम्पर्क मुख्यालय से बाधित होता है।
   - कि उक्त मौके पर चालू डामर सड़क की तरमीम राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवश नहीं की गई थी। अंत में प्रार्थीगण द्वारा मौके पर चालू डामर सड़क की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने हेतु उक्त आराजी की रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण संख्या 02 जरिये असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 03 जरिये सक्षम अधिकारी उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मौके पर चालू डामर सड़क को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर उक्त आराजी की तरमीम दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 02 कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अप्रार्थी संख्या 03 बाजरा अनुसंधान केन्द्र भारत सरकार से प्रबंधित होकर उक्त संस्थानों को भूमि आवंटन के समय आवंटन आदेश एवं नक्शा में किसी प्रकार की कोई सड़क का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही अप्रार्थीगण संस्थानों को उक्त आराजी कृषि की विभिन्न तकनीकों के वैज्ञानिक अनुप्रयोग एवं विश्लेषण हेतु आवंटित की जाकर उक्त संस्थान स्थापित किये गये हैं। जिसमें से आमजन के आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने से उक्त संस्थानों के अनुप्रयोग एवं विश्लेषण में नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित होना स्पष्ट है। अतः उक्त आधारों पर उक्त संस्थानों को आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होने के आधार पर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना—पत्र काबिल—ए—खारिज है। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

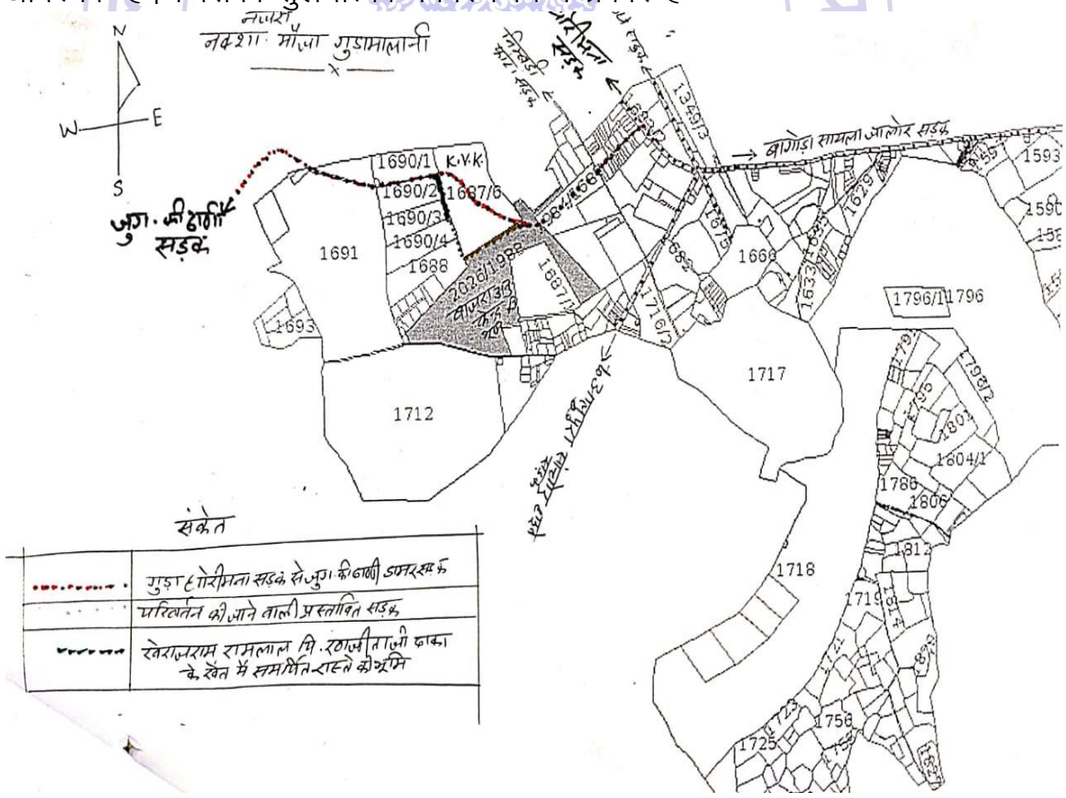

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नजरी नक्शा के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1296 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1296 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

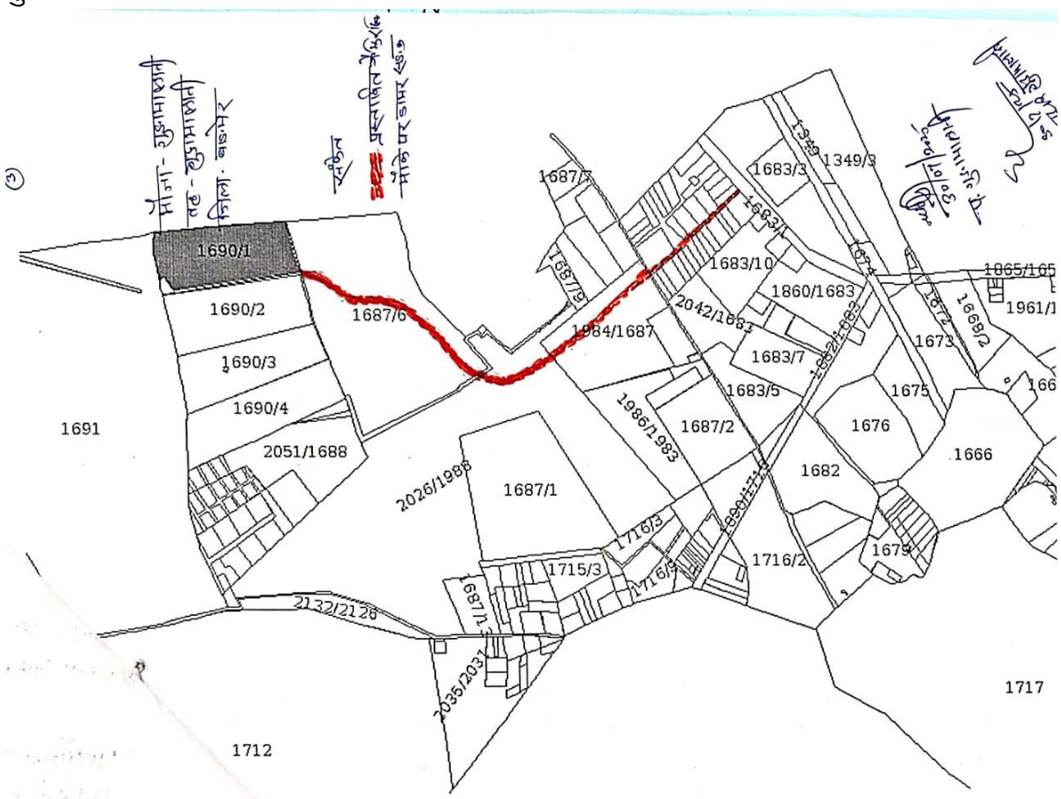

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1296 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. उपरोक्त खसरों में से खसरा संख्या 1859 / 1683 / 1.0117 है0, 1984 / 1687 / 8.4036 है0, 2026 / 1988 / 40.0001 है0, 1687 / 6 / 19.9995 है0 मौजा गुड़ामालानी में मौके पर सड़क चालू है।
   2. आराजी खसरा संख्या 1859 / 1683 / 1.0117 है0, 1984 / 1687 / 8.4036 है0, 2026 / 1988 / 40.0001 है0, 1687 / 6 / 19.9995 है0 मौजा गुड़ामालानी में चालू सड़क की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं की गई है। खसरा संख्या 1859 / 1683 / 1.0117 है0, 1984 / 1687 / 8.4036 है0, 2026 / 1988 / 40.0001 है0, 1687 / 6 / 19.9995 है0 मौजा गुड़ामालानी रास्ता / सड़क चल रहा है।
   3. आराजी खसरा संख्या 1859 / 1683 / 1.0117 है0, 1984 / 1687 / 8.4036 है0, 2026 / 1988 / 40.0001 है0,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

1687/6/19.9995 है0 मौजा गुड़ामालानी में मौके पर बनी डामर सड़क आमजन हेतु रास्ते के उपयोग में ली जा रही है।

4. आराजी खसरा संख्या 1859/1683/1.0117 है0, 1984/1687/8.4036 है0, 2026/1988/40.0001 है0, 1687/6/19.9995 है0 मौजा गुड़ामालानी में मौके पर बनी डामर सड़क को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1296 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय संस्थानों को आवंटित भूमि में से वर्तमान में मौके पर चालू सड़क को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 राजकीय संस्थानों को उक्त भूमि कृषि में नवाचार हेतु विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोग एवं विश्लेषण किये जाने हेतु आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के तहत बनाये गये नियमों के तहत राजकीय संस्था को आवंटित भूमि के खसरे की सीमा के अंदर किसी प्रकार से भूमि उपयोग को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना नियम संगत नहीं है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के तहत बनाये गये नियमों के तहत राजकीय संस्था को आवंटित भूमि के खसरे की सीमा के अंदर किसी प्रकार से भूमि उपयोग को आवंटन प्रयोजन का भूमि उपयोग ही माना जाता है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के तहत बनाये गये नियमों के तहत राजकीय संस्था को आवंटित भूमि के खसरे की सीमा के अंदर रास्ते हेतु भूमि उपयोग को सार्वजनिक रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त अनुतोष पोषणीय नहीं है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested